Volume-6, No. 2 Aug.-2019, pp. Hin.47-52

भारत में सूचना का अधिकारः एक व्यवहारिक अध्ययन गौतम बुद्ध नगर के विशेष सन्दर्भ में

मिस. सोनिका नागर, शोध छात्रा
(राजनीति विज्ञान विभाग)
चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ उत्तर प्रदेश भारत।

संक्रांति के दौर से गुजर रहे समसामयिक विश्व में व्यवस्था के धारकों एवं नागरिक समाज के सदस्यों का मुख्य जोर इस लक्ष्य पर है कि कैसे कुशासन को दूर कर लोकतांत्रिक संरचनाओं को प्रभावी बनाकर सुशासन की प्राप्ति की जाये। इस दिशा में किए गए विभिन्न वैधानिक प्रयत्नों में सूचना के अधिकार का विशेष महत्व है। सूचना लोकतन्त्र का प्राण हैं क्योंकि जब तक नागरिकों के पास शासन और प्रशासन से सम्बन्धित तथ्य परक सूचनाएँ नहीं होंगी तब तक किसी प्रभावी विचार–विमर्श की गुंजाइश नहीं बनती। सूचना तक नागरिकों की जितनी अधिक पहुँच होगी उतनी ही अधिक सरकार एवं संस्थाओं की लोगों के प्रति जवाबदेती बढ़ेगी। वास्तव में, एक अर्थपूर्ण लोकतन्त्र को एक ऐसी शिक्षित जनता की धारणा पर आधारित होना चाहिए जो इसके सुशासन में विचारवान हो सके, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय के 2002 में सुनाये गये एक फैसले में भी कहा गया– **''सूचित एवं सजग मतदाता लोकतन्त्र का आधार है।''**

मुख्य शब्द– सूचना का अधिकार अधिनियम, अन्तराष्ट्रीय न्यायदर्श, निष्कर्ष, सुझाव।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सूचना के अधिकार से सम्बन्धित घटना क्रम का वर्गीकरण हम अग्रांकित तालिका के माध्यम से करेंगे–

वैश्विक स्तर पर सूचना के अधिकार का विकास क्रम

वर्ष	देश/संस्था का नाम
1776	स्वीडन
1948	संयुक्त राष्ट्र संघ
1949	जर्मनी
1951	फिनलैण्ड
1964	डेनमार्क
1970	नार्वे
1973	ऑस्ट्रिया
1978	फ्रांस
1978	नीदरलैण्ड
1982	आस्ट्रेलिया
1982	न्यूजीलैण्ड
1983	कनाडा
1989	ब्रिटेन
1996	द. कोरिया
1997	आयरलैण्ड
1999	जापान
2000	द. अफ्रीका
2000	पाकिस्तान
2002	मैक्सिको
2005	भारत
2005	जर्मनी
28 सितम्बर 2007	चीन
1966	अमेरिका

भारत में सूचना के अधिकार का विकास

भारत में सूचना के अधिकार की लड़ाई आजादी की दूसरी और प्रजातंत्र की पहली लड़ाई मानी जाती है। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में नागरिकों के समक्ष पहली बार सूचना के अधिकार के सम्बन्ध में राजनीतिक प्रतिबद्धता 1977 के लोकसभा चुनाव के अवसर पर व्यक्त हुई थी। यह लोगों की सूचना प्राप्ति की आंकाक्षा के दमन का परिणाम था जोकि 1975–77 के बीच प्रेस पर प्रतिबंध लगाकर व अधिकारों का दुरूपयोग कर किया गया था। अपने चुनाव घोषणा पत्र में 1977 में जनता पार्टी ने यह वायदा किया कि **'पारदर्शी सरकार'** की स्थापना की जाएगी।

दिसम्बर 1989 में तत्कालिक प्रधानमंत्री **'श्री वी.पी. सिंह' ने ' ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट''** में सुधार लाने एवं सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया लेकिन व्यवहार में सरकार के

काम–काज में उनकी सरकार तथा बाद की सरकारों द्वारा कोई ठोस कदम नही उठाया गया। भारत में सूचना का अधिकार कानून के लिए जनान्दोलन की शुरूआत 1994 में सर्वप्रथम **राजस्थान** में मजदूर किसान शक्ति संगठन द्वारा **अरूणा राय एवं निलिख डे,** के नेतृत्व में **हमारा पैसा हमारा हिसाब** आंदोलन के जरिए की गयी। राजस्थान से शुरू हुआ यह आंदोलन अन्य राज्यों में भी फैलने लगा। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2005 में सूचना के अधिकार को केन्द्रीय कानून बनाने से पहले देश के नौ राज्यों में यह अधिकार मिल चुका था–

तमिलनाडु 1997, गोवा 1997, कर्नाटक 2000, राजस्थान 2000, दिल्ली 2001, असम 2002, महाराष्ट्र 2000, मध्यप्रदेश 2003, जम्मू कश्मीर 2004,

मार्च 2005 में सूचना का अधिकार विधेयक संसद में पेश किया गया। अंततः इसे 11 मई 2005 को लोकसभा तथा 12 मई को राज्यसभा ने भी पारित कर दिया। 12 जून 2005 को राष्ट्रपति ने इसे स्वीकृति दी। **इस तरह 12 अक्टूबर 2005 से सूचना का अधिकार पूरे देश में (जम्मू कश्मीर को छोड़कर, जहाँ विधान सभा द्वारा पहले ही सूचना कानून पारित एवं लागू किया जा चुका था) प्रभावी हो गया।**

गौतमबुद्ध नगर में आर.टी.आई.कानून 2005 की प्रभावशीलता एंव जागरूकता

आज जब सूचना कानून को लागू हुए 13 वर्ष बीत चुके हैं ऐसे में इस बात की समीक्षा करना समीचीन हो जाता है कि कानून के क्रियान्वयन की क्या दशा है? क्या इसकी कमी निकलकर सामने आयी हैं? किन चुनौतियों से यह जूझ रहा है? चुनौतियों के कारगर समाधान के लिए क्या किया जा सकता हैं? यही प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य है।

गौतमबुद्ध नगर में स्थित दादरी ब्लॉक के क्षेत्रवासियों की सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के विषय में जागरूकता एवं दादरी तहसील में कार्यरत कार्मिकों की कार्यशैली सम्बन्धी एक क्षेत्रीय अध्ययन किया गया। इस प्राक्कल्पना के साथ कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अवस्थित होने एवं ग्रेटर नोएडा जैसे शहर के समीप होने के कारण यहाँ लोगों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता का स्तर अच्छा होगा एवं तहसील में कार्यरत कार्मिको में सूचनाएँ प्रदान करने में उत्तदायित्व की भावना होगी, उद्देश्यपूर्ण निदर्शन के आधार पर 100 नागरिकों एवं 30 दादरी तहसील में कार्यरत कार्मिकों से प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार एवं अवलोकन के माध्यम से आर.टी.आई. कानून सम्बन्धित जागरूकता व कार्यवाही के विषय में तथ्य एकत्रित किये गये। प्रश्नावली के माध्यम से तथ्य संकलन के लिए जिन उत्तरदाताओं का चयन किया गया उनमें 7 प्रतिशत 18–35 वर्ष, 14 प्रतिशत 36–60 वर्ष एवं 5 प्रतिशत 61–65 वर्ष की आयु के थे, 69 प्रतिशत पुरूष एवं 31 प्रतिशत स्त्री उत्तरदाता है, 30 प्रतिशत क्षेत्रवासी उच्चतर माध्यमिक शिक्षा प्राप्त, 60 प्रतिशत कार्मिक एवं 44 प्रतिशत क्षेत्रवासी स्नातक शिक्षा प्राप्त तथा 40 प्रतिशत कार्मिक एवं 26 प्रतिशत क्षेत्रवासी परास्नातक शिक्षा प्राप्त है। कर्मिकों में 23.3 प्रतिशत अधिकारी 72.4 प्रतिशत कर्मचारी एवं 3.33 प्रतिशत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी है। क्षेत्रावासियों में 57 प्रतिशत नौकरी पेशा वाले, 23 प्रतिशत व्यवसाय एवं 20 प्रतिशत कृषि के माध्यम से जीविकोपार्जन करने वाले है।

क्षेत्रवासियों में सूचना का अधिकार, अधिनियम–2005 के प्रति जागरूकता सम्बन्धी तथ्यों का वर्गीकरण

1. **उत्तरदाताओं की सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि**

	परिवर्त्य	प्रतिशत
लिंग के आधार पर	पुरूष	69 प्रतिशत
	महिलाएँ	31 प्रतिशत
आयु के आधार पर	18–35 वर्ष की आयु के युवा	71 प्रतिशत
	36–60 वर्ष के प्रौढ़	14 प्रतिशत
	61–65 वर्ष के वृद्ध	5 प्रतिशत
व्यवसाय के आधार पर	नौकरीपेशा	57 प्रतिशत
	व्यवसाय	23 प्रतिशत
	कृषि	20 प्रतिशत

2. **आर0टी0आई0 कानून, 2005 के प्रति जागरूकता का स्तर**

परिवर्त्य	प्रतिशत
आर0टी0आई0 के विषय में जानने वाले	57 प्रतिशत
अनभिज्ञ	25 प्रतिशत
केवल नाम सुना है	18 प्रतिशत

3. **आर0टी0आई0 के व्यवहार में प्रयोग की स्थिति**

परिवर्त्य	प्रतिशत
आर0टी0आई0 कानून का	18 प्रतिशत

प्रयोग करने वाले	
आर0टी0आई0 कानून का प्रयोग नहीं करने वाले	82 प्रतिशत

4. आर0टी0आई0 कानून का प्रयोग न करने के पीछे उत्तरदायी कारक

परिवर्त्य	प्रतिशत
अशिक्षा व गरीबी	3 प्रतिशत
समयाभाव	5 प्रतिशत
कभी जरूरत नहीं पड़ी	30 प्रतिशत
सूचना आवेदन के विषय में जानकारी का अभाव	62 प्रतिशत

सूचना के अधिकार से सम्बन्धित जागरूकता एवं व्यवहारिक प्रयोग की स्थिति ज्ञात करने के लिए पूछे गए प्रश्नों के परिणामस्वरूप यह तथ्य सामने आया कि 57 प्रतिशत क्षेत्रवासी इस कानून की जानकारी रखते है, 25 प्रतिशत इस अधिकार के बारे में नहीं जानते व 18 प्रतिशत क्षेत्रवासियों ने केवल नाम सुना है तथा 18 प्रतिशत क्षेत्रवासियों ने ही इस अधिकार का व्यवहारिक प्रयोग किया है 82 प्रतिशत क्षेत्रवासियों ने नहीं किया, जिसका कारण उन्होंने सूचना आवेदन के विषय में जानकारी के आभाव को बताया। तथ्यों से स्पष्ट है कि यद्यपि क्षेत्रवासियों को सूचना के अधिकार के विषय में सामान्य जानकारी है किन्तु पर्याप्त प्रक्रिया की जानकारी न होने के कारण वे इस अधिकार का प्रयोग नहीं कर पाते।

आर0टी0आई0 कानून के प्रति तहसील में कार्यरत कार्मिकों एवं क्षेत्रवासियों के दृष्टिकोण को ज्ञात करने के लिए पूछे गये प्रश्नों से यह तथ्य प्रकाश में आया कि 6 प्रतिशत कार्मिक एवं 11 प्रतिशत क्षेत्रवासियों की दृष्टि में आर0टी0आई0 आमजन को सार्वजनिक कार्यो के प्रति जागरूक करने में सहायक है, 58 प्रतिशत कार्मिक एवं 12 प्रतिशत क्षेत्रवासियों की दृष्टि में यह कानून भ्रष्टाचार निवारण में सहायक है, 4 प्रतिशत कार्मिक व 11 प्रतिशत क्षेत्रवासी यह मानते हैं कि यह आमजन को विकास कार्यों में सहभागी बनाने में सहायक है तथा 15 प्रतिशत कार्मिक एवं 66 प्रतिशत क्षेत्रवासियों की नजर में यह कानून अधिकारियों में जवाबदेही सुनिश्चित करने में सहायक है।

सूचना के अधिकार के क्रियान्वयन में आने वाली, बाधाओं को ज्ञात करने के सम्बन्ध में पूछे गए प्रश्नों से ज्ञात तथ्यों का वर्गीकरण इस प्रकार है–

मत	कार्मिक कुल 30		क्षेत्रवासी कुल 100		योग कुल 130	
	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%
आमजन की अनभिज्ञता	17	56.6 %	53	53 %	70	53.84%
अधिकारियों का उदासीन व्यवहार	1	3.33 %	9	9%	10	7.6 %
सूचना कार्यकर्ताओं की हत्या	—	—	11	11 %	11	8.00 %
प्रशासकों का स्वार्थ	12	39.93%	27	27 %	39	30%

अध्ययनोपरान्त प्राप्त तथ्यों से यही निष्कर्ष निकला कि गौतमबुद्ध नगर के दादरी ब्लॉक में निवास करने वाले क्षेत्रवासियों को **'सूचना का अधिकार अधिनियम–2005'** की यद्यपि सामान्य जानकारी है लेकिन पर्याप्त प्रक्रिया, तकनीकि जानकारी न होने के कारण अधिकतम लोग इसका प्रयोग नहीं कर पाते साथ ही यह तथ्य भी प्रकट हुआ कि दादरी तहसील में आर0टी0आई0 का क्रियान्वयन सन्तोषजनक है तथापि उसमें अपेक्षित सुधार की परम आवश्यकता है।

भारत में सूचना के अधिकार के सम्मुख कई चुनौतियाँ हैं जो उसके प्रभावी क्रियान्वयन के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती हैं

1. आर0टी0आई0 कानून के सम्मुख सबसे बड़ी बाधा निरक्षरता तथा आमजन में पर्याप्त जागरूकता का अभाव है। इस कानून का लाभ उठाने से न केवल निरक्षर वंचित हो रहे हैं बल्कि शिक्षित वर्ग भी इस कानून के महत्व को उस रूप में नही समझ रहे हैं जिनका शक्तिशाली यह अधिकार हैं। तात्पर्य यह हैं कि शिक्षित होने के बावजूद आवेदन प्रक्रिया की अनभिज्ञता के कारण इस अधिकार का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। सोचने वाली बात यह हैं कि यदि हम भ्रष्टाचार का खात्मा करना चाहते हैं तो क्या इस अधिकार का प्रयोग करने के लिए थोड़ी मसक्कत करके इसकी पर्याप्त जानकारी नहीं ले सकते। अन्ना हजारे के जनलोकपाल बिल के समर्थन में इतनी बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम यदि इकट्ठा होता है तो वो सिर्फ इसलिये कि उन्हें भ्रष्टाचार जैसे बहुमुखी राक्षस से निजात मिलेगी लेकिन यदि इतनी ही बड़ी संख्या में लोग आर0टी0आई0 का प्रयोग करके भ्रष्टाचारियों का फर्दाफाश करने लगें तो परिणाम निश्चित ही अपेक्षित होगा।

2. आर0टी0 आई0 कार्यकताओं की हत्या ने इस कानून की धार में जंग लगाने का कार्य किया है।

जो लोग भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं वे अधिकांशतः भ्रष्टाचारियों के हत्थे चढ़ जाते हैं और वो मामला उस कार्यकर्ता की मौत के साथ ही खत्म हो जाता है। यही कारण हैं कि अन्य लोग भ्रष्टाचारियों की पोल खोल कर बहादुर बनने के बजाय अपने जीवन को बचाये रखने का रास्ता चुनते हैं।

3. चलो हिम्मत करके कुछ महान और निर्भिक लोग यदि आर0टी0आई0 का प्रयोग करते भी हैं तो उनमें से अधिकांश को या तो उचित सूचना नहीं मिल पाती या उनके मामलें लंबित पड़े रहते हैं चूंकि वो प्रथम अपील या द्वितीय अपील करने में इतनी रूचि नहीं दिखाते।

4. चुनौतियों में एक पक्ष यह भी है कि कुछ आवेदन केवल कर्मचारियों को परेशान करने या किसी की निजता से सम्बन्धित अथवा ऐसे विषयों से सम्बन्धित होते है जो गोपनीयता के दायरे में आते हैं। इस कारण भी इस कानून का क्रियान्वयन प्रभावित हुआ है।

5. जहाँ एक तरफ आर0टी0आई0 प्रशासनिक कार्यों को आम जन के सम्मुख रखने का अधिकार देता है वहीं दूसरी तरफ प्रशासनिक अधिकारियों व कार्मिकों को पारदर्शिता से भय रहता है। यही कारण हैं कि अक्सर प्रशासन इस कानून को विफल करने का प्रयत्न करते रहे हैं। अधिकतर विभागो के जन सूचना अधिकारियों द्वारा आर0टी0आई0 की धारा–8 का गलत प्रयोग करके सूचना की प्राप्ति की प्रक्रिया लम्बी बना दी जाती है।

इन चुनौतियों के मद्देनजर आर0टी0आई0 के एक दशक पूरा होने पर सत्येन्द्र मिश्रा, विवेक गर्ग, अरूणा रॉय तथा विवेक चतुर्वेदी के पैनल द्वारा एन0डी0टी0वी0 पर प्रसारित किये गये वाद–विवाद में '**द्वितीय आर0टी0आई0 क्रान्ति**' की आवश्यकता को दोहराया गया है।

निष्कर्ष

सर्वेक्षण से प्राप्त तथ्यों के व्यापक विश्लेषण एवं अध्ययन के उपरान्त दादरी तहसील में आर0टी0आई0 के क्रियान्वयन तथा क्षेत्रवासियों में सूचना के अधिकार के प्रति जागरुकता एवं प्रतिक्रिया का परीक्षण करने के परिणामस्वरुप निम्नलिखित निष्कर्ष निकलकर सामने आये–

1. भारत में 'सूचना का अधिकार अधिनियम'–2005' सुशासन की स्थापना, भ्रष्टाचार निवारण, प्रशासन में पारदर्शिता लाने तथा आम जनता को अपने अधिकारों के प्रति जागरुक बनाने के लिए लागू किया गया।

2. दादरी तहसील के अन्तर्गत रहने वाले क्षेत्रवासियों को यद्यपि सूचना के अधिकार की सामान्य जानकारी है लेकिन उनमें उसकी प्रक्रिया सम्बन्धी वांछित जानकारी का अभाव है।

3. सूचना के अधिकार की जानकारी केवल प्रबुद्ध वर्ग या पढ़े लिखे लोगों तक सीमित रह गयी है। बी0पी0एल0 श्रेणी के लोगों में इस अधिकार के प्रयोग के प्रति उत्सुकता एवं ज्ञान का अभाव है।

4. सूचना कानून के क्रियान्वयन के प्रति अधिकारियों व प्रशासनिक विभागों में उदासीनता दृष्टिगोचर होती है।

5. सूचना कार्यकर्ताओं की हत्या एवं उन पर होने वाले हमलों के लिए भारत में धीमी न्यायिक प्रणाली एवं राजनीतिक व प्रशासनिक भ्रष्टाचार उत्तरदायी है।

6. सर्वेक्षण तथा विभिन्न कार्मिकों से लिऐ साक्षात्कार के परिणामस्वरूप यह निष्कर्ष निकल कर सामने आया कि दादरी तहसील में सूचना कानून का क्रियान्वयन यद्यपि ठीक है तथापि विभिन्न कमियों के रहते उसमें सुधार अपेक्षित है।

7. भारत में सूचना कानून के क्रियान्वयन में जैसा कि तथ्यों से स्पष्ट हुआ, निरक्षरता तथा आमजन की इस कानून के प्रति अनभिज्ञता सबसे बड़ी चुनौतियाँ है जिस कारण इस अधिकार का व्यापक स्तर पर प्रयोग नहीं हो पाया।

8. अधिकांश क्षेत्रवासियों की दृष्टि में सूचना कानून में आर0टी0आई0 कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के लिए कोई प्रावधान नहीं है, यह एक बड़ी खामी है।

9. सर्वेक्षण के माध्यम से यह तथ्य निकलर आया कि दादरी तहसील के क्षेत्रवासियों की दृष्टि में सूचना का अधिकार प्रशासकों में नैतिक जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा आमजन को विकासात्मक कार्यों में सहभागी बनाने एवं सार्वजनिक कार्यो के प्रति जागरुक बनाने में सहायक है। सूचना का अधिकार अन्य अधिकारों (स्वतन्त्रता का अधिकार विशेषतः विचार अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता, समानता का अधिकार) की प्राप्ति में भी सहायक है।

सुझाव

1. सूचना के अधिकार कानून की प्रस्तावना में स्पष्ट किया गया है कि प्रभावी लोकतन्त्र की स्थापना के लिए जागरुक नागरिकों तथा सत्य एवं तथ्यों पर आधारित पारदर्शी सूचनाओं की आवश्यकता होती है। आर0टी0आई0 कानून के प्रावधानों तथा प्रक्रिया के प्रति लोगो को जागरुक

बनाने उनमें सहभागिता बढ़ाने तथा प्रशिक्षित करने के लिए समय–समय पर देश के विभिन्न भागों में (विशेषकर ग्रामीण, कस्बाई व छोटे शहरी क्षेत्रों में) जन जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए।

2. प्रशासकों में नैतिक जवाबदेही की भावना विकसित की जाए तथा उसकी गोपनीयता बनाए रखने वाली प्रवृति में व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता है।

3. शिक्षा का विस्तार किया जाए तथा शिक्षण के विभिन्न स्तरों पर सूचना के अधिकार की जानकारी पाठयक्रम के माध्यम से प्रदान की जाए।

4. गरीबी रेखा (बी0पी0एल0) के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगो के लिए यह व्यवस्था की गयी है कि वे निःशुल्क सूचना पाने के हकदार हैं लेकिन उनमें इस अधिकार के प्रयोग के सम्बद्ध में पर्याप्त जानकारी का अभाव है। इसलिए इस श्रेणी के लोगों में सूचना के अधिकार के प्रति जागरुकता बढ़ाने की सर्वाधिक आवश्यकता है। अध्ययन से प्राप्त तथ्यों से यह पूर्णतः स्पष्ट हुआ है।

5. कई आर0टी0आई0 कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमले हो चुके है और कई मामालें में उन्हें मौत के घाट भी उतारा जा चुका हैं । अतः इस प्रकार के मामलों में कोई भी शिकायत आने पर सरकार को आवेदनकर्ता को आवश्यक सुरक्षा मुहैया करवानी चाहिए तथा यदि किसी याचिकाकर्ता की मौत हो जाती है तो मृत्योपरान्त जाँच का प्रावधान किया जाये।

6. जिन अधिकारियों, द्वारा सूचना समय से न उपलब्ध करायी जाए, उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए जिससे कि अन्य अधिकारियों को सबक मिल सके।

स्पष्ट है कि सूचना के अधिकार को अभी अनेक पड़ावों से होकर गुज़रना है। जब तक इसके सिद्धान्त तथा व्यवहार में समन्वय नहीं देखने को मिलेगा तब तक इसकी यथोचित सार्थकता सिद्ध नहीं हो सकेगी।

मूल्यांकन

यद्यपि अनपढ़, कम पढ़े लिखे तथा पिछडे समाज में यह अभी अधिक लोकप्रिय नहीं हो पाया है। मगर समाज के लिए इसकी उपयोगिता धीरे–धीरे काफी बढ़ती जा रही है। इस कानून के अस्तित्व में आने से पूर्व जहाँ आम जनता सरकारी नुमाईदों की बहानेबाजी, लापरवाही, भ्रष्टाचार, डॉट–फटकार का शिकार होती थी, वहीं इस कानून के बाद जनता अब अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों के प्रति जागरुक बनकर लोकतन्त्र को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

निष्कर्षत

यह कहा जा सकता है कि सूचना का अधिकार नागरिकों के हाथों में एक सशक्त हथियार है। अगर कार्यपालिका के पास **'शासकीय गोपनीयता कानून है,** विधायिका के पास **संसदीय विशेषाधिकार है,** न्यायपालिका के पास **न्यायालय की अवमानना सम्बन्धी कानून है,** तो नागरिकों के पास भी एक अचूक हथियार (सूचना का अधिकार) आ गया है। इस कानून ने पिछले 13 वर्षों के बहुत अल्पसमय में पूरे देश में लोगों का विश्वास जीता है। इस कानून का प्रयोग आम जनता एक हथियार के रूप में सार्वजनिक क्षेत्रों से जुड़ी सूचनाएं प्राप्त करने के लिए कर रही है। सूचना कानून के सार्थक क्रियान्वयन को लेकर कई संस्थायें एवं सक्रिय कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं। यद्यपि गत वर्षो में कुछ आर0टी0आई0 कार्यकर्ताओं की हत्या एवं जानलेवा हमले हुए हैं इसके बावजूद विभिन्न आर0टी0आई0 कार्यकर्ता पूरे जोश एवं उत्साह के साथ इस कानून का प्रयोग सार्वजनिक हित से जुडे हुए, उन तमाम मुद्दों पर कर रहे है, जिसके कारण देश की शासन व्यवस्थाओं में अंधकार पसरा था। इस कानून का प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों में भ्रष्टाचार के कई मामलों को उजागर करने में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण रहा है। यदि इस अधिकार का विवेकपूर्ण तथा कुशलता के साथ उपयोग किया जाए, तो इससे न केवल देश की व्यवस्था में बदलाव आएगा, बल्कि यह लोकतन्त्र के विकास में भी **मील का पत्थर'** साबित होगा।

सन्दर्भ

1. जयतिलक गुहा रॉय, ''राईट टू इन्फॉरमेशन : इनिशिएटिव एण्ड इम्पेक्ट'', इण्डियन इंस्टि्टयूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली, मार्च–2006
2. एस0एल0 गोयल, ''राइट टू इन्फॉरमेशन एण्ड गुड गवर्नेश, ''दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन, नई दिल्ली–2007
3. सुनीता देवी ढ़ाका एवं सुनिता ढ़िल्लो, ''सूचना का अधिकार : उत्पत्ति एवं विकास'', भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, खण्ड–1–2009

4. सन्तोष खन्ना, ''सूचना का अधिकार अधिनियम क्रियान्वयन और चुनौतियाँ'', हिन्दी बुक सेन्टर, नई दिल्ली, 2009
5. प्रकाश कुमार एवं के0बी0 राय, ''सूचना का अधिकार'', प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, 2015
6. सुशीला देवी मीना, ''सूचना का अधिकार एवं सुशासन'', हिन्दी बुक सेन्टर, नई दिल्ली, 2016
7. अरूण कुमार ओझा एवं रूपा मंगलानी, ''सूचना का अधिकार सिद्धान्त एवं व्यवहार, राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर, 2000
8. अरूणा रॉय, निखिल डे, आरटीआई ऑन माई साइड, इण्डियन एक्सप्रेस 12 अक्टूबर, 2015
9. जगदीश प्रसाद एवं प्रकाश कुमार पाठक, ''सूचना के अधिकार की सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि, उद्‌भव एवं विकास जुलाई–दिसम्बर 2016, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली
10. राष्ट्रीय सहारा, राजनीतिक सुधार का एक कदम, सूचना का अधिकार, नई दिल्ली, 06 जुलाई 2013
11. **रिसर्च रिपोर्ट,** सुशासन एंव ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण सम्बन्धी रिपोर्ट (2013)